न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 399–एक/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 30–12–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुरई जिला सागर के प्रकरण कमांक 58/अ–6/2012–13.

शिवराज सिंह यादव पिता स्व0 श्री भैयालाल यादव
जाति यादव निवासी ग्राम सतनाई तहसील खुरई जिला सागर म0 प्र0

.....

आवेदक

विरूद्ध

1 श्रीमति कृष्णा बाई पिता स्व0 भैयालाल यादव
पति श्री जय सिंह यादव निवासी 36 बी, सेक्टर ए
शिवधाम कालोनी खंडवा रोड इंदौर म0 प्र0
2 देवकाबाई पिता स्व0 श्री भैयालाल यादव
निवासी ग्राम सतनाई वाले पति स्व0 श्री रघुवीर सिंह यादव
निवासी ग्राम मेल्हुआ चौराहा तहसील कुरवाई जिला विदिशा म0 प्र0
3 मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे. श ::

(आज दिनांक 02/02/2016 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 399–एक/15 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत

अनुविभागीय अधिकारी, खुरई जिला सागर के प्रकरण कमांक 58/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 16–6–2009 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगराकार शिवराज ने तहसीलदार, खुरई के समक्ष माह जुलाई, 2001 में इस आशय का आवेदन किया कि आवेदक शिवराज, उसकी मां श्रृंगारबाई, बहने देवकाबाई एवं कृष्णाबाई चारों के नाम ग्राम सतनाई में शामिल शरीक भूमि खसरा नंबर 161/2 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 157 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 158 रकबा 2.37 हैक्टेयर खसरा नंबर 159 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल रकबा 6.67 हैक्टेयर भूमि हैं । यह भूमि आवेदक के पिता के नाम थी । पिता के फौत हो जाने के कारण चारों वारिसों के नाम दर्ज हुए । आवेदक ने अपनी दोनों बहनों देवकाबाई एवं कृष्णाबाई की शादी हो जाने के फलस्वरूप उनकी स्वेच्छा बताते हुए शामिल शरीक खाते से उन दोनों के नाम काटने का निवेदन किया । इस आधार पर तहसीलदार ने अपने न्यायालय के प्रकरण कमांक 147/अ6/00–01 में पारित आदेश दिनांक 17–9–2001 द्वारा देवकाबाई एवं कृष्णाबाई का नाम काटने का आदेश दिया गया । इस आदेश एवं ग्राम सतनाई की संशोधन पंजी वर्ष 2005–06 की प्रविष्टि कमांक 3 पर पारित आदेश दिनांक 25–2–2006 के विरूद्ध अनावेदिका कमांक 1 कृष्णाबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 58/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30–12–14 द्वारा अपील में हुये विलंब को माफ किया एवं प्रकरण तर्क हेतु नियत किया । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गए । निगराकार अधिवक्ता ने बताया कि वे एवं गैर निगराकारगण भाई–बहन हैं । पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां श्रृंगारबाई एवं उभयपक्ष के पक्षकारों के वारसाना नामांतरण के संबंध में गैर निगराकारगण ने अपना वारसाना हक त्यागने के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया एवं तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 147/अ–6/2000–01 में पारित

आदेश दिनांक 17–9–2001 से गैर निगराकार कमांक 1 कृष्णाबाई का नाम हटा दिया । माता श्रृंगारबाई की मृत्यु वर्ष 2005 में होने के बाद पुनः एक बार वर्ष 2006 में नामांतरण हुआ । इसके बाद गैर निगराकार कमांक 1 ने वर्ष 2013 में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह कहते हुए अपील की कि उनका सहमति पत्र फर्जी है एवं उन्हे सुने बगैर वारसाना हक से उन्हें वंचित किया गया है । निगराकार अधिवक्ता ने यह आपत्ती ली है कि एक तो दो नामांतरण आदेशों के विरूद्ध एक अपील दायर की जाना सही नहीं हैं । दूसरे, एक बार सहमति देने के बाद स्वंय ही उसके विरूद्ध गैर निगराकार द्वारा अपील किया जाना सही नहीं है । तीसरा, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लंबे समय बाद अपील ग्राह्य करना अनुचित है ।

4/ गैर निगराकार अधिवक्तागण ने तर्क किया कि सहमति के आधार पर वारसाना हक का त्याग नहीं किया जा सकता । दूसरा, तहसीलदार के समक्ष चूंकि गैर निगराकारगण के कथन किसी फर्जी कृष्णाबाई की ओर से दिलवा दिए गए थे, अतः इस कथन के संबंध में जॉच, परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अभी नहीं हुआ है । उनका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह था कि अनुविभागीय अधिकारी ने अभी केवल विलंब माफ किया है, उन्हें अभी गुणदोष पर विचार करना बाकी हैं जो राजस्व मण्डल को उन्हें करने देना चाहिए । साथ ही, यह भी कि यदि सहमति कूटरचित थी तो नामांतरण आदेश अवैध होगा एवं परिसीमा की बाधा लागू नहीं होगी ।

5/ प्रकरण में तर्क–श्रवण एवं अभिलेख–परिशीलन के आधार पर मैं निम्न बिन्दु प्रमुखता से टीप योग्य पाता हूँ :–

(1) गैर निगराकार कमांक 1 कृष्णाबाई के तहसीलदार के समक्ष में कथन पर हस्ताक्षर, कृष्णाबाई के वकालतनामें में आए दस्तावेजों पर उपलब्ध हस्ताक्षर से, प्रथम दृष्टया भिन्न लगते हैं । अतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कृष्णाबाई की ओर से तहसीलदार के समक्ष प्रदत्त सहमति किसी फर्जी व्यक्ति को

कृष्णाबाई बताते हुए दिलवा दी गई हो, जिससे वास्तविक कृष्णाबाई को अपने वैधानिक हक से वंचित होने की संभावना उत्पन्न हो गई हो । अतः प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुणदोष पर विचार किया जाना न्यायहित में महत्वपूर्ण प्रतीत होता है ।

(2) अतः प्रकरण के उपरोक्तानुसार महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहे गुणदोष पर विचार करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को विलंब माफ करना जरूरी था, जो उन्होंने किया । वैसे भी अभी उभयपक्ष के पास अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर उपलब्ध है । अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश से किसी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हो गए हों, ऐसा नहीं माना जा सकता ।

6/ इस प्रकार, उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश न्यायहित में यथावत् रखा जाना उचित समझता हूँ, एवं यह निगरानी निरस्त करता हूँ।

आदेश पारित ।
प्रकरण समाप्त ।
पक्षकारगण सूचित हों ।
अभिलेख वापस हों ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर